Online at: https://researchtrendsjournal.com **ISSN No:** 2584-282X
Indexed Journal **Peer Reviewed Journal**

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 282-287

Received: 20-04-2025
Accepted: 26-06-2025
Published: 29-07-2025

जनजातीय लोगों की शिक्षा से संबंधित समस्याएं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझना

[1]Kirti Verma and [2]Dr. Tejpal Singh

[1]Research Scholar, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh, India
[2]Professor, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19981839

Corresponding Author: Kirti Verma

सारांश

भारत के जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन विविधता से भरा है, जिसमें विभिन्न जातीय समूहों की अर्थव्यवस्था, तकनीक, धार्मिक व्यवहार और भाषाएँ शामिल हैं। जनजातीय लोगों को अपने विकास के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। भारत के जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन विविधता से भरा है, जिसमें विभिन्न जातीय समूहों की अर्थव्यवस्था, तकनीक, धार्मिक व्यवहार और भाषाएँ शामिल हैं। जनजातीय लोगों को अपने विकास के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है।

मूलशब्द: जनगणना, अनुसूचित, जनसंख्या, अधिसूचित, परिवेश।

प्रस्तावना

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.21 अरब तक पहुँच गई; भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 104,281,034 है और यह कुल जनसंख्या का लगभग 8.61 प्रतिशत है। इनमें से 89.97 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लक्षद्वीप में 94.8 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक जनजातीय आबादी है; यह भारत की जनजातीय आबादी का केवल 0.058 प्रतिशत है। मिजोरम में रहने वाले लगभग सभी लोग आदिवासी हैं, यह इसकी कुल जनसंख्या का 94.4 प्रतिशत है और मिजोरम की जनजातीय आबादी देश की जनजातीय आबादी का 0.99 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूचित जनजातियों को 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है और अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूहों आदि की संख्या 705 है।

भारत के जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन एक जनजाति से दूसरी जनजाति और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। वे विभिन्न जातीय समूहों से आते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, तकनीक और धार्मिक व्यवहार का स्वरूप अलग-अलग होता है और वे अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जनजातीय समस्याओं ने समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए, जनजातीय लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं और अनेक नवीन योजनाएँ, कार्यक्रम, संरचनाएँ और संस्थाएँ बनाई गई हैं। जनजातीय लोग अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं और विविध भौगोलिक परिवेश के कारण एक अलग सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। जनजातीय लोगों की अपनी भावना, विश्वदृष्टि और सामुदायिक भावना तथा अपनी जीवन शैली होने के कारण, कभी-कभी विकास कार्यक्रमों के नियोजित तरीकों को लेकर वे भ्रमित हो जाते हैं।

आम तौर पर, वे विकास कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अवसरों का आनंदपूर्वक लाभ उठाते हैं, लेकिन उन्हें दृढ़ता से लगता है कि ये कार्यक्रम उनकी पारंपरिक जीवन शैली के विरुद्ध हैं। आदिवासी समुदाय गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। शिक्षा एक आधुनिक शब्द है, जो लैटिन शब्द 'एजुकेट' से बना है, जिसका अर्थ है पोषण करना, विकास करना। शिक्षा निरक्षर समाजों में भी प्रचलित है, जहाँ इसे मौखिक रूप से और सामूहिक व्यवहार द्वारा प्रदान किया जाता है।

आदिम समाज का एक सदस्य अपनी आजीविका कमाना, अच्छे कार्य करना, आध्यात्मिक शक्तियों का पालन करना और अंधविश्वासों आदि को समाज के बुज़ुर्गों से सीखता है और उसके नियमों और विनियमों से बंधा होता है। यही उनके लिए शिक्षा है। हम आधुनिक लोग, "पढ़ना-लिखना" ही शिक्षा मानते हैं और आधुनिक शिक्षा से व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, अपनी दृष्टि का विस्तार कर सकता है और विकास के फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए, आधुनिक शिक्षा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है।

भारत की जनसंख्या में आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा है। कई मामलों में, वे गैर-आदिवासी समकक्षों से पीछे हैं। उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनकी शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। भारत सरकार और घटक राज्य सरकारों ने आदिवासी बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, आदिवासियों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी परियोजनाओं के अंतर्गत अलग से स्कूल स्थापित किए गए हैं। इन प्रयासों के बावजूद, आदिवासियों में शिक्षा का विकास और साक्षरता दर कम पाई गई (वही)।

वर्तमान अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के ग्राम भरथरी को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है, जहाँ प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति निवास करती है। यह जनजाति भारत की विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) में शामिल है, जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है।

ग्राम भरथरी में कुल 100 आदिवासी परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 650 है। इसमें पुरुषों की संख्या 160, महिलाओं की संख्या 150 तथा बच्चों की संख्या 340 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गाँव में बाल जनसंख्या का अनुपात अधिक है। एक परिवार में औसतन 6 सदस्य पाए जाते हैं, जो संयुक्त परिवार प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाता है।

आवास की दृष्टि से अधिकांश परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। शिक्षा के लिए ग्राम में प्राथमिक स्तर तक विद्यालय उपलब्ध है, जिससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, यद्यपि उच्च शिक्षा के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों पर निर्भरता बनी रहती है। आर्थिक दृष्टि से ग्राम के अधिकांश लोग कृषि मजदूरी एवं दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। सीमित संसाधनों और भूमि की कमी के कारण आजीविका के स्थायी साधनों का अभाव है, जिसके चलते कई परिवार शासन द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न वितरण प्रणाली (PDS) पर निर्भर रहते हैं। यह अध्ययन क्षेत्र जनजातीय जीवन की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाओं की पहुँच तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

साहित्य की समीक्षा

मुरावथ, एट अल. (2024) [1]. यह शोधपत्र भारत के तेलंगाना में जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास पर सरकारी योजनाओं के बहुमुखी प्रभाव का अन्वेषण करता है। तेलंगाना, जहाँ जनजातीय आबादी काफी है, इन समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से कई सरकारी पहलों का केंद्र रहा है। मौजूदा साहित्य, नीतिगत दस्तावेज़ों और अनुभवजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के माध्यम से, यह सारांश उन विविध तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे सरकारी योजनाओं ने तेलंगाना के जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। तेलंगाना में जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ, उनके ऐतिहासिक हाशिए पर होने और कृषि, वन संसाधनों और कारीगरी जैसी पारंपरिक आजीविका पर उनकी निर्भरता पर ज़ोर देता है।

रफ़ी, ओ. एट अल. (2024) [2]. शोध पत्र में जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भारत में जनजातीय आबादी गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमी और मुख्यधारा के विकास से बहिष्कार जैसी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। एक अनुभवजन्य अध्ययन के माध्यम से, यह पत्र द्वितीयक आँकड़ों और प्राथमिक क्षेत्र-आधारित शोध, दोनों के आधार पर इन योजनाओं की प्रभावशीलता, प्रभाव और चुनौतियों का मूल्यांकन करता है। यह पत्र जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण हेतु इन पहलों के कार्यान्वयन और परिणामों को बेहतर बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करते हुए समाप्त होता है।

भीमराया, डॉ. (2022) [3]. शायद अफ्रीका को छोड़कर दुनिया में कहीं भी आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। आदिवासी प्रकृति की संतान हैं और उनकी जीवनशैली पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा निर्धारित होती है। विविध पारिस्थितिकी तंत्रों वाला भारत अपने पूरे क्षेत्र में विविध जनजातीय आबादी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, जनजातीय विकास योजनाओं ने अधिकांश जनजातीय लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया है। समावेशी विकास भारत की जनजातीय आबादी के लिए विकास के लाभ उपलब्ध और सुगम नहीं बना रहा है। वर्तमान शोध पत्र जनजातीय कल्याण की उत्पत्ति और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तक सीमित है और जनजातीय विकास योजना का मूल्यांकन, और भारत में, विशेष रूप से कर्नाटक में जनजातीय विकास के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह पत्र पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत में आदिवासियों के विकास पर भी प्रकाश डालता है। भारत सरकार भारत में जनजातीय लोगों के विकास के उद्देश्य से अधिक संख्या में योजनाएं, कल्याणकारी सुविधाएं और कार्यक्रम प्रदान करती है।

कुमार, एट अल. (2023) [4]. भारत की जनजातीय आबादी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मान्यताओं वाला एक बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। भारत सरकार ने उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनजातीय आबादी को आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करना है। नागालैंड सरकार ने राज्य के भीतर जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना है।

वाल्वी, एट अल. (2015) [5]. जनजातीय उप-योजना रणनीति ने जनजातीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास की उम्मीदें जगाई थीं। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के चार दशकों में अधिकांश जनजातीय लोगों के जीवन में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं आया है। जनजातियों के पास स्वयं अपने विकास के लिए योजना और कार्यान्वयन तक पहुँच नहीं थी। योजना के लिए सांख्यिकीय और सांस्कृतिक डेटा बेस कमजोर रहा है और आज भी है। विशेष रूप से, योजना के लिए राज्य की धारणा सूक्ष्म और स्थूल दोनों नियोजन

में अपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप अंततः जनजातीय लोगों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का असंतोषजनक कार्यान्वयन हुआ। वर्तमान अध्ययन इन विचारों का समर्थन करता है। यह अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय विकास के क्षेत्र में अब तक के प्रयासों की समग्र समीक्षा का प्रयास करता है।

यद्यपि पूर्ववर्ती अध्ययनों में जनजातीय विकास एवं शिक्षा से संबंधित अनेक सैद्धांतिक एवं द्वितीयक विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं, तथापि इन अध्ययनों में क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष डेटा (Field Data) का अभाव पाया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में ग्राम भरथरी के प्राथमिक आंकड़ों को सम्मिलित कर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिससे शोध अधिक यथार्थपरक एवं प्रमाणिक बनता है।

भारत में जनजातीय शिक्षा

भारत समावेशी विकास की वकालत करता है, लेकिन शिक्षा और कौशल विकास के अभाव में, हाशिए पर पड़े वर्ग समावेशी विकास का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, संविधान ने पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देकर सशक्त बनाया है। इस उद्देश्य से, भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान निर्धारित किए हैं। ये विशेष प्रावधान 1951 में संविधान संशोधन के माध्यम से अपनाए गए थे, और अनुच्छेद 15 में एक विशेष खंड जोड़ा गया था। यह खंड राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

ये विशेष प्रावधान भी उनकी साक्षरता के स्तर पर प्रभावशाली प्रभाव डालने में असफल रहे हैं क्योंकि कई जनजातियों की अपनी विशिष्ट और स्थानीय भाषा है जो उनके निवास राज्य में बोली जाने वाली आम भाषा से अलग है। यह पाया गया है कि 22 प्रतिशत जनजातीय बस्तियों की जनसंख्या 100 से कम है और 40 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या 100 से 300 के बीच है, जबकि अन्य की जनसंख्या 500 से कम है। 1961 में उनकी साक्षरता दर 8.5 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ी। इसी अवधि में, महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता की तुलना में बहुत अधिक निराशाजनक थी, जो मात्र 3.2 प्रतिशत थी। भारतीय समाज में उनके अभाव और हाशिए पर होने को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव योजना शुरू की है, अर्थात आश्रम विद्यालयों की स्थापना। आश्रम विद्यालयों की अवधारणा तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत भर के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में शुरू हुई। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग को अनुकूलित तरीके से शिक्षा प्रदान करना है। आश्रम विद्यालयों के अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के रहने-खाने के लिए छात्रावासों का निर्माण भी किया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। इसमें से 89.97% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि केवल 10.03% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। आदिवासी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (2001-2011) 23.66% रही, जबकि समग्र जनसंख्या वृद्धि दर 17.69% रही।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 46 के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिसके अनुसार राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 15 राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान राज्यों को तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों, साथ ही वैज्ञानिक और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350 (ए) राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है:

1. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. पुस्तक बैंक योजना
3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों में योग्यता संवर्धन योजना
4. अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
5. टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना
6. राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता योजना
7. महिला साक्षरता विकास के लिए शैक्षिक परिसरों की स्थापना

जनजातीय शिक्षा से संबंधित समस्याएं और समाधान

भारतीय जनजातियों में पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज के बोझ और कम उम्र में विवाह के पीछे प्रमुख कारण जनजातीय लोगों में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा और कानूनी समझ के अभाव में वे अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते। जनसंख्या वृद्धि और वनों के घटने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। ऐसे में उन्हें शिक्षित करके वे उच्च शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य संवार सकते हैं और जनजातीय समुदायों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास तेजी से हो सकता है। जनजातियों में शिक्षा का स्तर कम होने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें अंधविश्वास, सामाजिक रीति-रिवाज, बालिका शिक्षा के प्रति पारंपरिक रूढ़िवादिता, आर्थिक गरीबी और पिछड़ापन, बाल श्रम, कम उम्र में विवाह और कई अन्य आर्थिक व सामाजिक कारणों के साथ-साथ सांस्कृतिक और भौगोलिक कारक भी शामिल हैं जो जनजातीय समुदायों में बच्चों की शिक्षा में बाधा डालते हैं।

जनजातीय लोग आमतौर पर शिक्षा में रुचि नहीं दिखाते हैं। जनजातीय माता-पिता अक्सर निरक्षर होते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। जनजातीय समूह गरीबी और जंगलों में रहते हैं जहाँ परिवहन सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, और उनमें जागरूकता की कमी है, जिससे स्कूल जाने में भी रुचि कम होती है। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली जनजातियों को संचार और परिवहन सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, और घर से स्कूल की दूरी उनकी शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता में और बाधा डालती है। भाषा की बाधाएँ एक और मुद्दा है, क्योंकि जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएँ होती हैं, जबकि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम आमतौर पर हिंदी या अंग्रेजी होता है, जिससे निर्देशों को

समझने में कठिनाई होती है और स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जनजातियों की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए बच्चे स्कूल जाने के बजाय आय अर्जित करने के लिए कृषि और श्रम-संबंधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं ।

जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। भाषा शिक्षा एवं ब्रिज कोर्स, स्थानीय भाषा में शिक्षण, अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, घर से विद्यालय तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षकों को बहुभाषी शिक्षा का प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को जनजातीय संस्कृतियों एवं प्रथाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय ज्ञान को शामिल करना, जनजातीय लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षित जनजातीय युवाओं को संगठित करना, तथा जनजातीय विद्यार्थियों में हीनता एवं अलगाव की भावना को समाप्त करने हेतु विद्यालयों में सांस्कृतिक रूप से समावेशी एवं सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने में सहायक हो सकता है।

जनजातीय क्षेत्रों की उन्नति के लिए एक समेकित विकास कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। जनजातियों के रोजगार, आय एवं व्यय संबंधी गतिविधियों में सुधार हेतु समुचित शिक्षा आवश्यक है।

जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रभाव: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग, विशेषकर सहरिया जनजाति के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। अध्ययन क्षेत्र ग्राम भरथरी में इन योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। ग्राम के अधिकांश परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त या रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे निर्धन परिवारों को पोषण सुरक्षा प्राप्त हो रही है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है, जिससे पोषण स्तर में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा तथा सिकल सेल मिशन के माध्यम से रोगों की पहचान एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिन परिवारों के पास भूमि है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार, अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुँच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो जनजातीय समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

जनजातीय विकास का ऐतिहासिक संदर्भ

आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक रूप से अपने भौगोलिक अलगाव और सामाजिक-आर्थिक अभावों के कारण हाशिए पर रहे हैं। यह खंड स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-पश्चात के युगों का अवलोकन प्रस्तुत करता है, और उन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और नीतियों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने आदिवासी विकास की वर्तमान स्थिति को आकार दिया है।

पूर्व-औपनिवेशिक काल

अलगाव और आत्मनिर्भरता: जनजातीय समुदाय पारंपरिक रूप से पृथक क्षेत्रों में, प्रायः जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, तथा जीविका के लिए कृषि, शिकार और संग्रहण करते थे।

उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियाँ थीं, जो काफी हद तक आत्मनिर्भर और मुख्यधारा के समाज से स्वतंत्र थीं।

सांस्कृतिक समृद्धि

जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां थीं, जो उनकी पहचान और जीवन शैली का अभिन्न अंग थीं।

औपनिवेशिक काल (1757-1947)

ब्रिटिश नीतियां और शोषण

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने ऐसी नीतियाँ लागू कीं जिनसे आदिवासी जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जिनमें भू-राजस्व व्यवस्था और वन कानून शामिल थे, जिन्होंने पारंपरिक भूमि और संसाधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा लकड़ी और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण कई आदिवासी समुदायों का विस्थापन हुआ।

विद्रोह और प्रतिरोध

जनजातीय समुदायों ने विभिन्न विद्रोहों, जैसे संथाल विद्रोह (1855-1856), मुंडा विद्रोह (1899-1900) और बिरसा मुंडा आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया।

ये विद्रोह महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनमें जनजातियों के बाहरी नियंत्रण के प्रति प्रतिरोध तथा अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा करने की इच्छा उजागर हुई।

मिशनरी कार्य का परिचय: ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक परिवर्तन और धर्मांतरण भी किए, जिससे पारंपरिक आदिवासी प्रथाओं पर असर पड़ा

स्वतंत्रता के बाद का काल (1947-वर्तमान)

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट स्थिति को मान्यता दी है तथा पांचवीं और छठी अनुसूचियों के तहत उन्हें विशेष सुरक्षा और अधिकार प्रदान किए हैं।

पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की रक्षा करती है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है।

उप-योजना (टीएसपी) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी)

जनजातीय विकास के लिए लक्षित वित्तीय संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) में टीएसपी की शुरुआत की गई थी। आईटीडीपी का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास करना था।

वन अधिकार अधिनियम (2006): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वनवासी जनजातीय समुदायों के भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है, तथा ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का निर्देश देता है। 2.3.4. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996 पेसा ने पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया, तथा स्थानीय संसाधनों और शासन के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को अधिकृत किया।

शिक्षा पहल: स्वतंत्रता के बाद, आदिवासी बच्चों के बीच शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम विद्यालयों की स्थापना जैसी विभिन्न शैक्षिक योजनाएं शुरू की गईं।

स्वास्थ्य सेवा नीतियां: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी सरकारी पहलों में कुपोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा संक्रामक रोगों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए आदिवासी क्षेत्रों में लक्षित स्वास्थ्य हस्तक्षेप शामिल थे।

आर्थिक विकास: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे कार्यक्रमों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए, हालांकि विभिन्न कौशल विकास पहलों का उद्देश्य आदिवासी युवाओं के बीच रोजगार क्षमता को बढ़ाना था।

सांस्कृतिक संरक्षण: सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को पहचानते हुए, जनजातीय भाषाओं, कलाओं और परंपराओं को दस्तावेजित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों में तेजी आई।

समकालीन मुद्दे और विकास

निरंतर हाशिए पर: विभिन्न नीतियों के बावजूद, कई जनजातीय समुदायों को गरीबी, शिक्षा की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम: भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

जनजातियों की विकास स्थिति

विकास की अवधारणा का उपयोग आर्थिक विकास से लेकर मानव विकास तक स्थितिगत, सैद्धांतिक और वैचारिक अर्थों में किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट (2015) के अनुसार, इस अवधारणा का अर्थ लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मानवीय क्षमताओं का निर्माण करके लोगों का विकास है। वर्षों से जनजातियाँ पिछड़ी रही हैं, हालाँकि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। कुछ जनजातियाँ जैसे मीना (राजस्थान), मिज़ो (मिजोरम), खासी (मेघालय), ओरांव (बिहार और मध्य प्रदेश), आदि, अन्य पीवीटीजी जैसी अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं जो विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। केरल और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे कुछ राज्यों में जनजातियाँ बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में वे बदतर स्थिति में हैं। महाराष्ट्र अपेक्षाकृत विकसित राज्य है और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में उच्च रैंक पर है।

जनजातियों की शैक्षिक स्थिति 1961 से धीरे-धीरे सुधर रही है। भारत में उनकी साक्षरता दर 1961-2011 के दौरान 8.5 से बढ़कर 59.0 हो गई, जबकि इसी अवधि में कुल साक्षरता दर 28.3 से बढ़कर 73.0 हो गई। जनजातीय और कुल जनसंख्या के बीच साक्षरता का अंतर कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी अधिक है। निश्चित रूप से, एसटी महिलाओं के लिए यह और भी बुरा है। कई शैक्षिक योजनाओं के कारण एसटी का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 1995 से 2011 तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बेहतर हुआ है। जबकि अन्य की तुलना में एसटी बच्चों में स्कूल छोड़ने का अनुपात अधिक है, यह अंतर घटने के बजाय बढ़ रहा है।3 महाराष्ट्र में एसटी की शैक्षिक स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और यह लगभग भारत के स्तर पर है।

जनजातीय विकास की नीति

मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही इस मुद्दे पर बहस करते रहे हैं। आदिवासी लोग पारंपरिक रूप से एकाकी जीवन जीते आए हैं। उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएँ रही हैं, जो सदियों से विकसित हुई हैं। ठक्कर ने बताया कि आर्यों के आगमन से पहले भी आदिवासी लोग धरतीपुत्र थे। वे हिंदुओं, मुसलमानों और एंग्लो-इंडियन से भी पुराने और प्राचीन हैं। ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी स्व-शासक थे और उनकी अपनी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था थी। औपनिवेशिक काल में, उन्होंने अपनी शक्ति और नियंत्रण खो दिया। मैदानी इलाकों के शासकों ने उन्हें पहाड़ों और जंगलों में जाने के लिए मजबूर किया। अनादि काल से, शासकों ने उनकी उपेक्षा की है और परिणामस्वरूप, वे अशिक्षित, गरीब और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं।

ब्रिटिश नीति थी कि "उन्हें अपनी जीवनशैली जीने दी जाए।" कल्याण या विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों ने संस्कृति की सुरक्षा, शोषण और भूमि अलगाव की रोकथाम की नीति निर्धारित की, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं और ईसाई मिशनरियों जैसे कि वेरियर एल्विन, महात्मा गांधी, एवी ठक्कर, एससी रॉय आदि द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रयास किए गए थे। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से जनजातियों के विकास के लिए काम किया। एल्विन आदिवासी लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे और वह उनका समग्र विकास चाहते थे, कुछ अन्य मानवशास्त्रियों के विपरीत जिन्होंने उनकी स्थितियों में यथास्थिति का सुझाव दिया था। जनजातियों की सुरक्षा के लिए, उन्होंने नियंत्रित अलगाववाद की नीति को बढ़ावा दिया।

अधिकतम जनजातीय घनत्व वाले इस विशेष क्षेत्र में, सभी बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाना था और प्रशासन को जनजातीय आयुक्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाना था। इसके अलावा, जनजातियों के विकास के लिए, एल्विन ने पृथक्करण की नीति की वकालत की। जनजातियों का विकास केवल उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही हो सकता है, इसलिए उनके लिए नीति अलग होनी चाहिए। विजनीकरण (जनजातियों का आत्मसातीकरण) की नीति उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है, और उन्हें सभ्य बनाने में सहायक हो सकती है (इस दृष्टिकोण का समर्थन

नेफा प्रशासन और समाज सुधारकों ने किया था)। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इससे शोषण और पहचान के ह्रास जैसी समस्याएँ पैदा होंगी। यह उन्हें ईसाई और हिंदू समाजों में भी आत्मसात कर देगा।

निष्कर्ष

शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में यह पाया गया कि विद्यालयों तक पहुँच, छात्रवृत्ति एवं शैक्षिक योजनाओं ने सहरिया जनजाति में साक्षरता दर को बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है, यद्यपि यह दर अभी भी सामान्य ग्रामीण समुदायों से पीछे है। बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच, जैसे – स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल और बिजली योजनाएँ – जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और इनके अभाव में समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर मध्यम से उच्च पाया गया, परंतु जागरूकता और लाभ प्राप्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सूचना की कमी योजनाओं के प्रभाव को सीमित करती है।

अध्ययन क्षेत्र ग्राम भरथरी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, तथापि समुदाय की आजीविका आज भी मुख्यतः दिहाड़ी मजदूरी एवं कृषि मजदूरी पर निर्भर है। इसके परिणामस्वरूप कई परिवार सरकारी खाद्यान्न वितरण प्रणाली पर निर्भर बने हुए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धता होने के बावजूद आर्थिक मजबूरी, बाल श्रम एवं जागरूकता की कमी के कारण बच्चों की निरंतर उपस्थिति एवं उच्च शिक्षा में प्रगति बाधित होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल योजनाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनजातीय समुदाय का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

संदर्भ

1. मुरावथ, मंजी और मुरावथ, राजन्ना. तेलंगाना में जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास पर सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभाव. 2024, 2320-2882.
2. रफ़ी ओ. और राजशेखर, पी. और III, शोधकर्ता। भारत संघ सरकार की जनजातीय कल्याण और विकास योजनाएं - एक अनुभवजन्य अध्ययन। 2024;8:61-71.
3. डॉ. भीमराया. भारतीय जनजातीय कल्याण योजनाएँ और उनका कार्यान्वयन: एक अध्ययन. ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड बिज़नेस रिव्यू. 2022, 16-21. 10.36713/epra10579.
4. कुमार जे. सुरेश और डॉ. डी. शोभना। नागालैंड में जनजातीय विकास पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव। शानलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स। 2023;11:15-25. 10.34293/economics. v11i3.6184।
5. वाल्वी, दुर्गेश. महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुले ज़िलों में जनजातीय विकास पर कल्याणकारी उपायों के प्रभाव का एक अध्ययन।, 2015.
6. मेदा, रवि और स्कॉलर. बैगा जनजाति पर नीतिगत हस्तक्षेप और विकासात्मक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव पर एक अध्ययन. 2022;4:58-67.
7. कुमार, संजय और शर्मा, मुनीश और चंदेल, सिद्धार्थ। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। सकारात्मक. 2024;24:23-37.
8. ए., प्रशांत और पलानीअप्पन, बालासुब्रमण्यम। तमिलनाडु में जनजातीय विकास योजनाओं के प्रति अनुसूचित जनजातियों का दृष्टिकोण। मद्रास एग्रीकल्चरल जर्नल। 2021;107:1-4. 10.29321/MAJ.10.000545।
9. मिंज, सुमित. भारत में जनजातीय विकास नीतियाँ: इसके निहितार्थ और संभावनाएँ, 2020.
10. रफ़ीक, फ़ौमी और राजशेखरन, रमेश। तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले के जैव विविधता क्षेत्र में रहने वाली आदिम जनजातियों द्वारा विभिन्न सरकारी जनजातीय विकास योजनाओं के उपयोग की सीमा। एशियन जर्नल ऑफ़ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। 2021, 250-258। 10.9734/ajaees/2021/v39i1130748।
11. रंगन्नावर, डॉ. और वाई, नागराज और कुमार, मिस्टर और एम, गायथिरी और नायक, हनमंत। जनजातीय विकास के लिए कार्यक्रम और नीतियां। उन्नत इंजीनियरिंग और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जर्नल (IRJAEM)। 2024. 2.2589-2597. 10.47392/IRJAEM.2024.0376.
12. मोहंती, विकासिता और मित्रा, रत्ना। झारखंड और ओडिशा राज्य में आदिवासी महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं को समझना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च। 2024;12:437-443. 10.21474/IJAR01/19072।
13. माल्याद्री, पाचा. आदिवासी महिलाओं के सतत विकास के लिए आय सृजन योजनाएँ. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान समीक्षा. 2020;8:634-641. 10.18510/hssr.2020.8176.
14. चौधरी, किशना और कौशिक, अरुणा और कुलश्रेष्ठ, डॉ. सुरेंद्र। राजस्थान में सहरिया जनजाति के आर्थिक विकास में सरकारी रोजगार सृजन योजनाओं की भूमिका। 2021;45:1-7.
15. शर्मा, भुवनेश और डॉ. सिंह. मध्य प्देश के संदर्भ में आदिवासी क्षेत्र की स्थिति को सभ्य बनाने में सरकार की भूमिका।, 2016.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.